

रामेश्वर बनाम नौरत

C/No 38/2020

12/10/21

पत्रावली पेशा हुई। वकील वादी उप. नहीं
वकील वादी को 5.30 P.M. तक आवाज लगवाई
गई। वकील वादी या उनका कोई प्रतिनिधि उप.
नहीं। अतः वादी के वाद को अदम जैस्वी
अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।
अतः पत्रावली फेसब
शुमार होकर पत्रावली नखर से कम हो।

उपखण्ड अधिका
किशनगढ़ (अजमेर)

